प्रेस को जानकारी टिप्पण (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 91/ 2020)

तत्काल जारी करने के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से उपभोक्ता पहुंच कार्यक्रम

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 2020: भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने बेंगलुरु स्थित अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से दिनांक 20 नवम्बर, 2020 (शुक्रवार) को ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से उपभोक्ता पहुंच कार्यक्रम आयोजित किया।

2. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य उपभोक्ता हितों की रक्षा करना और उपभोक्ता जागरूकता पैदा करना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण देश के विभिन्न भागों में उपभोक्ता पहुंच कार्यक्रमों का आयोजन करता है। कोरोना वायरस महामारी की वर्तमान स्थिति में, ऑनलाइन मंच के माध्यम से इस तरह के कार्यक्रमों का संचालन करने का निर्णय लिया गया था, जहां उपभोक्ता अपने घर, दुकान अथवा कार्यालय में बैठे कर शामिल हो सकते हैं।

3. इस कार्यक्रम में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के प्रतिनिधियों, विभिन्न महाविद्यालयों के छात्रों और संकाय और अन्य हितधारकों ने भाग लिया।

4. कार्यक्रम के दौरान, उपभोक्ताओं को दूरसंचार सेवाओं के विभिन्न पहलूओं के संबंध में अर्थात् प्रशुल्क, मूल्यवर्धित सेवाओं (वीएएस), डाटा सेवाओं, अवांछित वाणिज्यिक सम्प्रेषण (यूसीसी), मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी, शिकायत निवारण प्रणाली आदि के बारे में जानकारी प्रदान की गई थी। उपभोक्ताओं को उपभोक्ता सशक्तिकरण के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण माई–स्पीड ऐप, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण माई–कॉल ऐप, डीएनडी 2.0 ऐप आदि जैसे विभिन्न मोबाइल एप्स के बारे में भी जानकारी प्रदान की गई और उपभोक्ताओं को यह भी जानकारी प्रदान की कि उपभोक्ता इन एप्स और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण विश्लेषणात्मक पोर्टल का लाभ कैसे उठा सकते हैं। उपभोक्ताओं को विभिन्न धोखाधड़ी अर्थात् अलग– अलग तरह की धोखाधड़ियों के बारे में भी बताया गया जैसे टॉवर लगाने से जुड़ी धोखाधड़ी, आईएसडी नम्बर से मिस्ड कॉल आदि और यह भी जानकारी प्रदान की कि इन धोखाधड़ियों से कैसे सावधान रहना चाहिए।

5. उपभोक्ताओं के लाभ के लिए चैनल चयन ऐप के बारे में भी जानकारी प्रदान की गई ताकि उपभोक्ता अपना सब्सक्रिप्शन देख सकें, चैनल जोड़/ हटा सकें और अपनी पसंद का अनुकूलन कर सकें। कार्यक्रम के दौरान इस संबंध में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा तैयार किया गया एक वीडियो चलाया गया।

6. श्री संजीव बैंजल, सलाहकार (सीए एंड आईटी) ने इंटरनेट ऑफ थिंग्स और उसके अनुप्रयोगों के बारे में बात की।

7. 'इंटरैक्टिव' सत्र के दौरान, प्रतिभागियों के प्रश्नों का उत्तर श्री एस0 एस0 गलगली, सलाहकार, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलुरु और उनके दल द्वारा दिया गया। उन्होंने यूसीसी प्रणाली, जमा धरोहर राशि के प्रतिदाय और धोखा देने के लिए किए जाने वाले कॉल के बारे में उठाए गए बिंदुओं को स्पष्ट किया। प्रतिभागियों से भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा विकसित एप्स का उपयोग करने का अनुरोध किया गया था।

8. किसी भी स्पष्टीकरण के मामले में, श्री संजीव बैजल, सलाहकार (सीए एंड आईटी), भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, से दूरभाष नम्बर 011–23210990 अथवा ई–मेल आईडी : advisorit@ trai.gov.in पर भी संपर्क किया जा सकता है।

ह/–
(एस0 के0 गुप्ता)
सचिव, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अस्वीकरण: यह विज्ञप्ति / निविदा मूलरूप से अंग्रेजी में लिखित विज्ञप्ति / निविदा का हिंदी अनुवाद हैं। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित यह विज्ञप्ति / निविदा मान्य होगी।